रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 1992/आश्विन 18, 1914
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 1992/ASVINA 18, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 449.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार असम और मेघालय सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियमावली, 1992 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में (क) अनुसूची-IIIक में तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के समयमान वेतन से ऊपर के वेतन वाले ऐसे पदों में असम-मेघालय से संबंधित कालम एक में तथा तत्संबंधी कालम 2 तथा 3 में आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

असम-मेघालय

असम

सरकार के मुख्य सचिव	रु. 8000/-
विशेष आयुक्त	रु. 7300-7600/-
सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव	रु. 7300-7600/-
प्रभागीय आयुक्त	रु. 5900-200-6700-

SCHEDULE—I

[(See rule 10 (1) (a)]

Grade designation mark

(Design on Agmark Label)

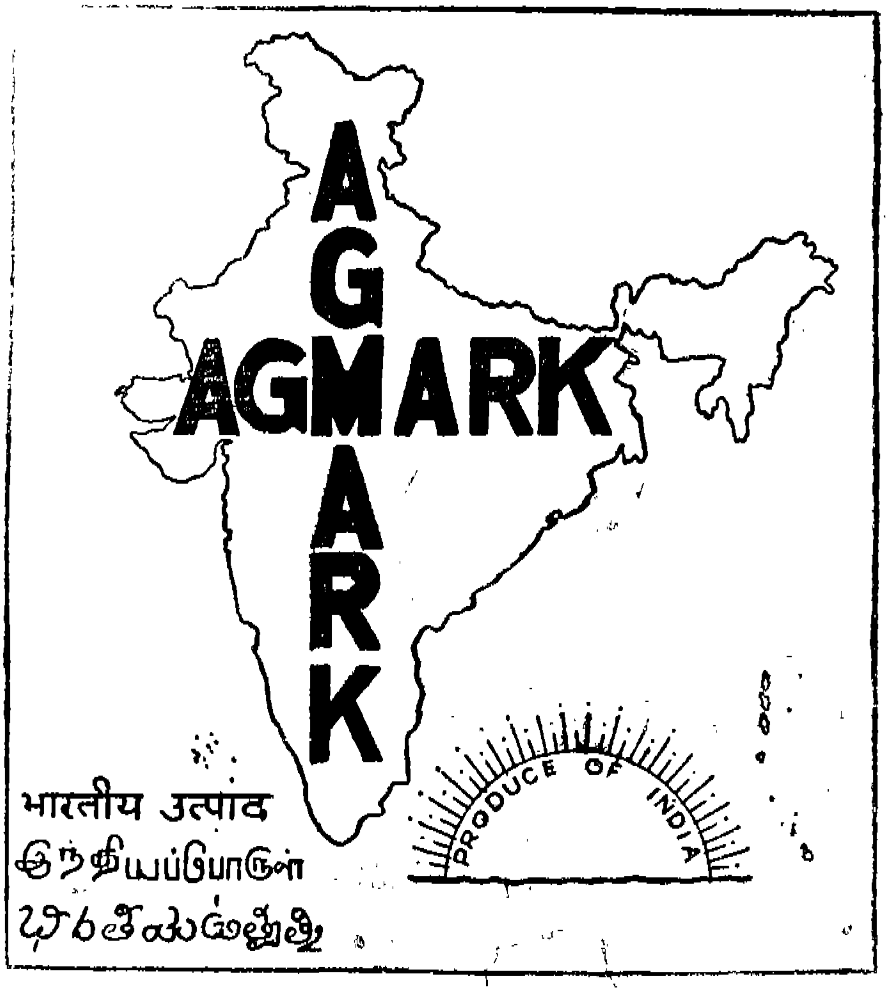

SCHEDULE—II

[See rule 10 (1) (b)]

Grade designation mark

(Design of Agmark replica)

Name of Commodity :

Grade :

Note :—1. The principal rules were notified vide notification No. 21-24/87-M-II, dated the 17th May, 1989 of Ministry of Agriculture (Department of Rural Development) at GSR 434, in Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated the 17th June, 1989 and subsequently amended by the Notification No. 21-24/87-M. I, dated the 10th October, 1991. Extraordinary of the Ministry of Agriculture (Department of Rural Development) at GSR 621(E), in Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated the 11th October, 1991.

[No. 21-24/87-M. I]

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1992

सा. का. नि. 460.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 में बनाए गए उपबंधों के अनुसरण में, आकाशवाणी, (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) संशोधन नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (आवासिक क्वार्टरों का आबंटन) नियम 1983 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में "कार्यक्रम और परिक्षण के लिए अपेक्षित और स्टाफ" और "कार्यक्रम और परीक्षण पूल के लिए अपेक्षित और स्टाफ" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं निम्नलिखित शब्द क्रमशः रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ" और "शिफ्ट ड्यूटी पूल"

3. उक्त नियमों के अनु. नि. 317-26-न-2 में,—

(1) खण्ड (त) के तीसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारियों की बाबत जो स्थानांतरण पर किसी केन्द्र में आते हैं, क्वार्टरों का एक पूल आवश्यक सोमा तक और ऐसे नियमों के उपबंधों का जिनका संबंध शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ पात्रता क्वार्टर रखने की रियायती अवधि से है, ध्यान में रखते हुए आरक्षित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—तीसरे परन्तुक में निर्दिष्ट मामलों में स्थानांतरण के किसी केन्द्र (शहर) की प्रभावी तबदीली है, जिसमें आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी की अवधि को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक के लिए ड्यूटी अंतर्वलित है ।"

(2) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारीवृन्द से ऐसा कर्मचारीवृन्द अभिप्रेत है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या 12/1/74-बी (ए), दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 (समय-समय पर यथासंशोधित) में अन्तर्विष्ट आदेशों के निबंधनों के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं और जो इन नियमों से सातवीं अनुसूची के रूप में उपाबद्ध उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के हैं :"

4. उक्त नियमों की सातवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

"सातवीं अनुसूची [नियम 2 (घ) देखें]
शिफ्ट ड्यूटी कर्मचारीवृन्द

1. कार्यक्रम कर्मचारीवृन्द
(1) प्रेषण अधिशासक

2. सम्पादकीय कर्मचारीवृन्द
(2) उपसंपादक
(3) मानीटर (विदेशी भाषा)

3. इंजीनियरी कर्मचारीवृन्द
(4) ज्येष्ठ इंजीनियरी सहायक
(5) इंजीनियरी सहायक
(6) तकनीकी (ज्येष्ठ)
(7) तकनीकी
(8) डीजल इंजन चालक
(9) टेलीसाइन आपरेटर
(10) रेडियो तकनीकी

4. अनुसचिवीय और प्रकीर्ण कर्मचारीवृन्द
(11) समाचार सेवा प्रभाग में आशुलिपिक
(12) समाचार सेवा प्रभाग में लिपिक श्रेणी-2
(13) मोटर चालक
(14) टेलीप्रिन्टर आपरेटर
(15) परिवहन सहायक
(16) स्टूडियो परिचर
(17) स्टूडियो परिचर
(18) टेलीफोन परिचर/आपरेटर
(19) स्टूडियो अधिशासक
(20) क्लीनर/मददगार
(21) खलासी
(22) फराश
(23) सफाईवाला
(24) चपरासी
(25) गैस्टेटनर } आपरेटर समाचार सेवा प्रभाग में"
(26) दफ्तरी }

[सं.-16/7/89-ए. एण्ड जी./बी. (बी.)]

पी. एम. राजू, अवर सचिव

टिप्पणी:—

मुख्य नियम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 8 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. संख्या 949 के तहत प्रकाशित किए गए तथा दिनांक 25 जून, 1987 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड -i में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 572 तथा दिनांक 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-4, उपखंड -i में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 229 तथा दिनांक 14 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड i में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 697 के तहत संशोधित किए गए।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th September, 1992

G.S.R. 460.—In pursuance of the provisions made in rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1985 namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Amendment Rules, 1992.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983, (hereinafter referred to as the said rules) for the words "core staff needed for programme and transmission" and "core staff needed for programme and transmission Pool" wherever they occur, the following words shall "respectively substiuted, namely :—

"Shift Duty Staff" and "Shift Duty Pool."

3. In the said Rules, in S.R. 317-XXVI-T-2,—

(i) for the third proviso to clause (p), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided also that in respect of officers who come to a Station on transfer, a pool of quarters will be reserved to the extent necessary and in keeping with the other provisions of the rules relating to shift duty staff entitlement, concessional period of retention, etc.

Explanation.—In cases referred to in third proviso, transfer would mean effective change of station (city) involving duty for one year or more excluding period periods of leave other than casual leave."

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"SHIFT DUTY STAFF means staff performing shift duty in terms of order contained in the Ministry of Information and Broadcasting letter No. 12 (1)/74-B (A) dated 31-12-1973, (as amended from time to time) and belonging to categories specified in the said order, appended to these rules as the Seventh Schedule ."

4. In the said rules, for the Seventh Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

"THE SEVENTH SCHEDULE
(See Rule I 2)
Shift duty staff

I. Programme staff

(1) Transmission executives.

II. Editorial Staff

(2) Sub-editors
(3) Monitors (foreign languages)

III. Engineering staff

(4) Senior engineering assistants.
(5) Engineering assistants.
(6) Technician (Senior)
(7) Technicians.
(8) Diesel engine drivers.
(9) Telecine Operators.
(10) Radio technicians.

IV. Ministerial and miscellaneous staff

(11) Stenographers in New Services Division
(12) Clerks Grade II New Services Division
(13) Motor drivers
(14) Telephone operators
(15) Transport assistants.
(16) Studio attendants
(17) Studio guards
(18) Telephone attendants or operators
(19) Studio executives
(20) Cleaners/helpers
(21) Khalasis
(22) Farashes
(23) Sweepers
(24) Peons
(25) Gestetner operators in New Services Divisions."
(26) Daftries.

[No. 16/7/89-A&G/B (D)]

P. M. RAJU, Under Secy.

Foot Notes.—The Principal rules were published vide Notification G.S.R. No. 949, dated 8th September, 1984.

Subsequently amended by :—

1. Notification GSR No. 572, dated 25th July, 1987.
2. Notification GSR No. 229 dated 6th April, 1991.
3. Notification GSR No. 697 dated 14th December,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1992

सा. का. नि. 461.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 24 के सामने स्तंभ 1 में, "प्रयोगशाला परिचर" शब्दों के स्थान पर "मौसम विज्ञान परिचर" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. ई (2) 109/03 (आर आर)]

के. रमण, उप महानिदेशक मौसम विज्ञान
(प्रशासन और भंडार)

पाद टिप्पण:—मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 755 दिनांक 10 अक्तूबर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद उनका

(i) संख्या सा. का. नि. 275 दिनांक 9 अप्रैल, 1988